न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–6/विशेष न्यायाधीश, भ्र0 नि0 अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0), बरेली।

CNR No.UPBR010070942026

जमानत आवेदन पत्र संख्या –2111/2026

अंकित यादव पुत्र प्रताप सिंह यादव,
निवासी ग्राम चैत गौटिया, थाना कैन्ट, जिला बरेली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0अ0सं0– 153/2026
धारा–3(5),191(2),352,115(2),351(3),
353(2),308(5) बी0एन0एस0
थाना– कैन्ट, जिला– बरेली।

दिनांकः 29.06.2026

थाना कैन्ट, जिला बरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0–153/2026, धारा–3(5),191(2),352,115(2),351(3),353(2),308(5) बी0एन0एस0 में अभियुक्त **अंकित यादव** की ओर से जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को विस्तारपूर्वक सुना तथा जमानत प्रार्थना–पत्र एवं उसके साथ संलग्न समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया। अभियुक्त की ओर से विमल कुमार पुत्र प्रताप सिंह, द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में यह कथन किया गया है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में न ही लम्बित है और न ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में केस के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा विजेन्द्र पुत्र जगदीश, द्वारा प्रभारी निरीक्षक, थाना कैन्ट, जिला बरेली को इस आशय का प्रार्थना दिया गया कि प्रार्थी के वार्ड नं0– 02 ठिरिया निजावत खां थाना कैण्ट जिला बरेली के रहने वाले शुऐब अली पुत्र बाकर अली से पारिवारिक सम्बन्ध है जो कि मेरे घर दूध लेने व मिलने जुलने आते जाते रहता है वह वर्तमान में दुबई में रहकर नौकरी करता है। वह मेरी पुत्री के साथ दिनांक 28.03.2026 की रात्रि में करीब 08.00 बजे पहलवान बाबा मन्दिर स्टेशन रोड तक टहलने गया था तो कुछ लड़के उन दोनों के पास आये और उनका नाम पता पूछने लगे जब उन बच्चों ने अपना अपना नाम बताया तो वह लोग मेरी बेटी को बगल में अलग से खड़ा कर दिया इसके बाद ऋषभ ठाकुर नाम के लड़के को बुलाकर कहने लगे कि ये लड़की को लेकर घूम रहा है। इसके बाद ऋषभ ठाकुर नाम के व्यक्ति ने अपनी चप्पल निकालकर चप्पल से शुऐब अली के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते हुए उसे वही जान से मारने की धमकी दी। इतने में शुऐब बहुत डर गया और उसने अपनी जान की भीख मांगते हुए अपने पास दुबई से कमाकर जो दिरहाम लेकर आया था और जिनको उसने रूपयों में बदलवाया था तथा जिसमें से करीब 7000 रूपये उसके पर्स में रखे थे उन 7000 रूपयों को ऋषभ ठाकुर नाम के व्यक्ति को देकर तथा ऋषभ ठाकुर के साथ वाले व्यक्ति को दो हजार रूपये अपने फोन में उसने ट्रान्सफर किया जिसकी ट्रान्जक्शन आईडी T260328205353374960154 50 है इस तरह से उसने कुल 9000 हजार रूपये देकर उन लोगो से अपनी जान बचायी। उसके साथ मारपीट करते हुए उन लोगो ने विडियो भी बनाये एवं धार्मिक नारे भी लगवाये थे। उसकी पिटाई का विडियो बनाकर ऋषभ ठाकुर नाम के व्यक्ति ने अपनी इन्शट्राग्राम अकाऊन्ट से सोशल मिडिया पर सनसनी फैलाने के लिये वायरल कर दिया है। साहब इन लोगों ने शुऐब के साथ बहुत बुरा किया है। श्रीमान जी प्रार्थी पीड़ित शुऐब के साथ थाने पर सूचना को आया है। ऋषभ ठाकुर व उसके साथ के अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे ।

तदोपरान्त वादी मुकद्मा द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना कैन्ट, जिला बरेली पर मु0अ0सं0– 153/2026, धारा–352, 115(2), 351(3), 353(2), 308(5) बी0एन0एस0 में ऋषभ ठाकुर व कुछ अन्य अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई। दौरान विवेचना उक्त मामले में धारा– 191(2),3(5) बी0एन0एस0 के बढ़ोत्तरी की गई। अभियोजन केस के अनुसार मामले में विवेचना प्रचलित है।

आवेदक/अभियुक्त का संक्षेप में जमानत आवेदन पत्र में कथन है कि आवेदक/अभियुक्त को रंजिश की विनाह पर झूठा फंसा दिया गया है वह पूर्णतया निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। आवेदक/अभियुक्त घटना स्थल से गिरफतार नहीं हुआ है। आवेदक/अभियुक्त का कथित घटना से कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं है। कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है कथित घटना के समय प्रार्थी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। कथित घटना स्थल के आसपास काफी लोगों के मकान है जहाँ इस प्रकार की घटना कारित संभव नहीं है आसपास का कोई साक्षी नहीं है जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। आवेदक/अभियुक्त किसी भी संज्ञेय अपराध की बावत दोषसिद्ध नहीं है। कथित घटना की रिपोर्ट काफी देरी से व सोच समझकर लिखायी गयी है तथा देरी का कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त के फरार होने का कोई भय नहीं है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि हेतु जमानत देने को तैयार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट से दर्शित होता है कि **अभियुक्त पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर पीड़ित शुऐब अली के साथ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने तथा रंगदारी बसूलने का अभियोग है।** आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अतः प्रस्तुत मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा प्रश्नगत अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **अंकित यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अंकित यादव** की ओर से मु0अ0सं0– 153/2026, धारा–3(5),191(2),352,115(2),351(3),353(2),308(5) बी0एन0एस0 थाना कैन्ट, जिला बरेली के प्रकरण में, प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(संदीपा यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–6/
विशेष न्यायाधीश,भ्र0नि0अधि0(यू0पी0एस0ई0बी0),
बरेली।
ID- UP- 6423

दिनांकः 29.06.2026

Digitally signed by SANDEEPA YADAV
Date: 2026.07.09 11:25:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court